इलेक्शन टुडे

==

दिनांक - 17 अक्टूबर 2018 अंक – 11

==

विधानसभा आम चुनाव -2018

संपत्ति विरूपण के 8 लाख 76 हजार 234 प्रकरण दर्ज

भोपाल : बुधवार, 17 अक्टूबर, 2018। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता लगने के बाद 6 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2018 तक कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिये 855 अवैध हथियार जब्त किये गये हैं और 1 लाख 49 हजार 15 शस्त्र थानों में जमा कराये गये हैं। इसी दौरान 11 हजार 590 गैर जमानती वारंट तामील कराये गये हैं और 24 हजार 750 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है।

सम्पत्ति विरूपण के अन्तर्गत 8 लाख 76 हजार 234 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। इनमें से शासकीय सम्पत्ति विरूपण में 6 लाख 99 हजार 41 प्रकरण और निजी सम्पत्ति विरूपण के अंतर्गत 1 लाख 77 हजार 193 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। पंजीबद्ध प्रकरणों में शासकीय संपत्ति के 6 लाख 88 हजार 699 प्रकरणों में तथा निजी संपत्ति के 1 लाख 60 हजार 97 प्रकरणों में, इस तरह कुल 8 लाख 48 हजार 796 प्रकरणों में कार्यवाही की गयी। इस अवधि में वाहनों के दुरूपयोग पर 3 हजार 712 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं।

==

विधानसभा आम चुनाव -2018

राजगढ़ जिले में 7 लाख की शराब जब्त

प्रशासन-पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई

भोपाल : बुधवार, 17 अक्टूबर, 2018। राजगढ़ जिले के ग्राम गुलखेड़ी में प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के कारोबार के विरूद्ध छापामार कार्रवाई कर 212 पेटी अंग्रेजी और 68 पेटी देशी शराब जब्त की गई। जब्त की गई इस मदिरा का मूल्य लगभग 7 लाख रूपये आंका गया है।

जब्त की गई यह शराब पंजाब,हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में विक्रय के लिए अधिकृत है। विनिर्माण ईकाइयों को नोटिस देकर जानकारी प्राप्त की जा रही है। छापों में जब्त की गई मदिरा ग्वालियर, बड़वाह, भोपाल आदि की विनिर्माण ईकाइयों द्वारा निर्मित होना पाया गया है।

विगत दिवस राजगढ़ के सारंगपुर, पचोर, ईट भटटों पर भी कार्यवाही की गई जिसमें 8 हजार रूपये मूल्य की कुल 50 लीटर हाथभटटी मदिरा एवं 75 किलोग्राम महुआ लहान जप्त कर प्रकरण दर्ज किया गया है।

==

विधानसभा आम चुनाव -2018

चुनाव प्रचार समाप्ति के बाद सभा, जुलूस, सार्वजनिक प्रचार-प्रसार करना दण्डनीय

भोपाल : बुधवार, 17 अक्टूबर, 2018। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी कर कहा है कि मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से 48 घण्टे पूर्व कोई भी प्रत्याशी निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई भी सार्वजनिक सभा या जुलूस नहीं करेगा और ना ही उसमें सम्मिलत होगा तथा ना ही उसे संबोधित करेगा । कोई भी प्रत्याशी प्रचार समाप्ति के बाद किसी भी ऐसे सार्वजनिक आयोजन, धार्मिक आयोजन, शादी-विवाह समारोह में सम्मिलित होकर चुनाव प्रचार संबंधी किसी भी प्रकार की कोई अपील भी नहीं करेगा।

टी.वी, चलचित्र, रेडियो, एफ.एम.चैनल, मोबाईल पर वीडियो संदेश, वॉइस संदेश और ऐसे किसी भी साधन से चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद प्रचार संबंधी कोई अपील नहीं करेगा। कोई भी प्रत्याशी संगीत समारोह, नाट्य अभिनय और मनोरंजन के किसी भी ऐसे साधन का प्रयोग नहीं करेगा, जिससे चुनाव में

मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके। किसी भी प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन की व्यवस्था भी नहीं करेगा। जनता के समक्ष चुनाव संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा। उक्त बातों का उल्लंघन होने पर दो वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों प्रकार के दण्ड का प्रावधान है।

==

विधानसभा आम चुनाव -2018

दूरदर्शन और रेडियों पर प्रचार के लिये राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों का समय निर्धारित

भोपाल : बुधवार, 17 अक्टूबर, 2018। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल.कान्ता राव ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन 2018 में प्रचार हेतु राष्ट्रीय एवं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को दूरदर्शन और रेडियों पर प्रचार के लिये समय निर्धारित कर दिया गया है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 45-45 मिनट, बहुजन समाज पार्टी को 68-68 मिनट, भारतीय जनता पार्टी को 206-206 मिनट, सीपीआई को 46-46 मिनट, सीपीआईएम को 45-45 मिनट, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 175-175 मिनट और एनसीपी को 46-46 मिनट का समय निर्धारित किया गया है।

श्री राव ने बताया कि प्रथम एक बार में 5-5 मिनट का समय दिया जायेगा उसी आधार पर उतनी बार ही इस समय का उपयोग कर पायेगें। यह सुविधा क्षेत्रीय एवं ऑल इंडिया रेडियों और दूरदर्शन पर प्राप्त होगी। प्रसारण का समय एवं दिनांक निर्वाचन आयोग द्वारा प्रसार भारतीय कार्पोरेशन के साथ चर्चा कर निर्धारित किया जायेगा। उपरोक्त राजनैतिक दलों को दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियों के स्टूडियों में रिकार्डिंग के लिये अलग से अनुमति प्राप्त करना होगी।

रेडियों एवं दूरदर्शन पर पैनल डिस्कशन और डिबेट के कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा सकता है। किन्तु इस प्रसारण में किसी अन्य देश की बुराई करना, किसी धर्म या समुदाय की बुराई या विरोध करना, किसी पर अशलील आरोप लगाना और मानहानि करना, हिंसा को बढ़ावा देना, न्यायालय की अवमानना करना, राष्ट्रपति और न्यायपालिका पर आक्षेप लगाना, देश की एकता व अखंडता को प्रभावित करना और किसी व्यक्ति के नाम से अथवा व्यक्तिगत लांछन लगाना प्रतिबंधित रहेगा।